

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-90

दिनांक: 14-3-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की  
बैठक सं. ६२०१ दिनांक 11-3-2002 का  
कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं. ६२०१  
दिनांक 11-3-2002 प्रातः 11:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त  
महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर  
प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
7. अति. आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

बीपीसी(ले-आउट प्लान)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की....कमेटी....बैठक दिनांक...11-3-2002  
का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी  
समिति का नाम : संयुक्त गृह-म-म-
2. योजना का नाम : मेजर बने सिंह कालोनी
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : फोखवाड़ा 550 से 554, सहजपुरा 2।।
4. सैक्टर नंबर : 13 व 14

जोनल लेबल(जोन संख्या...बी...-6...) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/~~संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक~~ द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. योजना के संशोधित मानचित्र को मौके की स्थिति के अनुरूप ही माना जावे ।
2. रेलवे लाईन के समानान्तर 100 फिट सैक्टर रोड़ एवं 160 फिट चौड़ी सैक्टर रोड़ को सैक्टर प्लान के अनुरूप ही रखा जावे एवं इन सड़कों में आने वाले भूखण्डों के नियमन की कार्यवाही नहीं की जावे ।
3. योजना की आन्तरिक सड़कों को 30 फिट चौड़ा ही रखा जावे ।
4. भूखण्ड सं० 7 व 8 को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 11.3.2002..का  
कार्यवाही विवरण।

- |  |   |                                     |
|--|---|-------------------------------------|
| 1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : | हथरोई गढ़ी गृ0नि0स0स0               |
| 2. योजना का नाम                            | : | श्याम वाटिका                        |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नं0                 | : | 110, 116 से 127 व 21-17 बीका प्र 10 |
| 4. सैक्टर नंबर                             | : | 5-03 बीका ग्राम खोडाका              |

जोनल लेबल(जोन संख्या..13..2..2..) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्षय में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- भूखण्ड संख्या 39, 41, 46, 47, 48, 49, 56, 61, 69, 74 में से हाईटेन्शन लाईन गुजरती है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे।
- 2- भूखण्ड संख्या 39, 40, 41 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
- 3- योजना में 30'-0" से कम चौड़ी सड़कों को 30'-0" किया जावे।
- 4- भूखण्ड संख्या 1 से 10 के सामने की सड़क की चौड़ाई 40'-0" की जावे।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 11.3.2002 का कार्यवाही विवरण।

- |    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | : मित्र गृह नि० स० स०   |
| 2. | योजना का नाम                            | : शिवपुरी   |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं०                 | : 82, 87, 89, 90, 95, 99, 104, 112, 116, 148, 152, 153            |
| 4. | सेक्टर नंबर                             | : 147, 105, 113, 118, 114, 159, 160, 101, 106, 107, 109, 114, 117 |
- जोनल लेबल(जोन संख्या...८...२....) कमेटी की बैठक

दिनांक.8.3.2002में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू-उपयोग संस्थानिक है इसलिए भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावे ।
- 2- योजना के पश्चिम में 100-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है जिसके कारण भूखण्ड संख्या ए-24, ए-38, ए-50, ए-61, ए-62, ए-68, ए-75, ए-78 कुल आठ भूखण्ड प्रभावित होते है इसलिए इन भूखण्डों को निरस्त किया जावे ।
- 3- योजना में बुद्धसिंह पुरा संस्थानिक क्षेत्र की 60"0" चौड़ी सड़क इस योजना के भूखण्ड सं. ए-193 के बाद भूखण्ड संख्या ए-13, ए-12, ए1 तथा भूखण्ड संख्या 7ए व 412के मध्य में प्रस्तावित 30' चौड़ी सड़क को 60' चौड़ा किया जावे ।
- 4- सेक्टर प्लान के अनुसार योजना के दक्षिण भाग में 60-0" चौड़ी सड़क प्रस्तावित है किन्तु मौके पर 30-0" चौड़ी सड़क ही उपलब्ध है इसलिए भूखण्ड संख्या बी-76, बी-77 के उत्तर की सड़क को 40' से सेक्टर प्लान के अनुसार 60-0" किया जावे तथा रामविहार योजना में प्रस्तावित 60-0" चौड़ी सीधी सड़क को भूखण्ड संख्या बी-92 में से

- हिस्सा काटकर सड़क में ~~घुमाव~~ दिया जावे ।
- 5- रामविहार से आती हुई 40-0" चौड़ी , सेक्टर रोड़ में मिलाने हेतु भूखण्ड संख्या बी-20 एवं बी-34 के मध्य स्थित 30-0" चौड़ी सड़क को 40-0" किया जावे तथा रामविहार योजना की सड़क को मिलाने हेतु भूखण्ड संख्या बी-28, बी-29 में से घुमाव देकर सड़को को आपस में मिलाया जावे । जिसके कारण भूखण्ड संख्या बी-28 को पूर्ण एवं भूखण्ड संख्या बी-29 को आंशिक निरस्त किया जावे ।
  - 6- भूखण्ड संख्या ए-156, 144 व भूखण्ड संख्या ए-157 व ए-187 के मध्य की उपलब्ध 30-0" चौड़ी सड़क को सेक्टर प्लान के अनुसार 40-0" चौड़ी की जावे ।
  - 7- योजना के कॉमर्शियल सेक्टर के भूखण्ड संख्या (दुकान) 11 से 30 व इन दुकान के पीछे के आवासीय भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे तथा इसे सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।
  - 8- योजना में 30-0" से कम चौड़ी सड़को को 30-0" किया जावे ।
  - 9- शीप नम्बर 21 व 22 को सड़क हेतु दर्शाया जावे ताकि सेक्टर रोड़ से इस सड़क का सम्पर्क हो सके । योजना के <sup>दस्तावेज 1931</sup> में 30-0" चौड़ी सड़क को 40-0" किया जावे ।
  - 9- योजना के भूखण्ड संख्या डी-12डब्ल्यू एवं ए-136 को निरस्त किया जावे ।
  - 10.- भूखण्ड संख्या बी-19, ए15ए, ए8 में पर्याप्त आच्छादित क्षेत्र नहीं मिलता है इसलिए इन भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावे ।



कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी (ले-आउट प्लान) की..... बैठक दिनांक 11.3.2002 का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : सुभाष सिन्धी
2. योजना का नाम : पूनम विहार
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : 373, 374, 368, 369, 370, 371, 391/701
4. सैक्टर नंबर : 21<sup>अ</sup> मनेह 2523

जोनल लेबल (जोन संख्या... 6... 2... ) कमेटी की बैठक दिनांक 8.3.2002 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना के भूखण्ड संख्या 63, 63ए, व 91 के पूर्व की सड़क मौके पर 20-0" चौड़ी उपलब्ध है इसे 40-0" चौड़ी करें तथा 20-0" चौड़ी भू पट्टी सामने के उत्तेदार से ली जावें ।
- 2- योजना के भूखण्ड संख्या 87 व 87ए के पूर्व की सड़क मौके पर 20-0" चौड़ी उपलब्ध है इसे 25'-0" चौड़ी करें तथा साइड के भूखण्डों में 5' चौड़ी भू पट्टी लें ।
- 3- भूखण्ड संख्या 47 व 49 के मध्य के भूखण्ड संख्या 48 को बंशीपुरी योजना में मिलाने हेतु सड़क को दर्शाया जावें तथा बंशीपुरी योजना के भूखण्ड संख्या 24 व पार्टली 25 को भी सड़क हेतु दर्शाया जावें जो पूर्व में स्वीकृत किया गया था ।
- 4- सवाई कक भूमि प्रस्तावित भूखण्डों को अस्वीकृत किया जावें ।
- 5- भूखण्ड संख्या 16 व 18 के मध्य के भूखण्ड संख्या 17 को 30' चौड़ी सड़क दर्शाया जावें ।
- 6- भूखण्ड संख्या 3, 4, 5, 6, 6A व 7 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावें ।
- 7- भूखण्ड संख्या 33ए से पूर्व में त्रिभुजाकार क्षेत्र जो वाणिज्यिक उपयोग हेतु

दर्शाया है को खुला क्षेत्र दर्शाया जावे ।

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'J' or 'G' shape with a long horizontal stroke extending to the right.

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

कार्यवाही विवरण

बीपीसी «ले आउट प्लान» की दिनांक 11.3.2002 को सम्पन्न हुई बैठक में अध्यक्ष के अनुमोदन से जोन D-2 के निम्न एजेन्डा प्रस्तुत किये गये :-

1. लक्ष्मी गु.नि.स.स. की योजना शक्ति नगर, खसरा नम्बर 61, 148, 146, 147 हरमाडा के अनुमोदन के संबंध में ।
2. मोती भवन गु.नि.स.स. की योजना 11 F, चौमू खसरा नम्बर 6468 के अनुमोदन के संबंध में ।

उपरोक्त एजेन्डा पर विचार विमर्श पश्चात निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

1. लक्ष्मी गु.नि.स.स. की योजना शक्ति नगर, खसरा नम्बर 61, 148, 146, 147 हरमाडा के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल «जोन संख्या डी-2» कमेटी की बैठक दिनांक 8.3.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

- (i) योजना में आवासीय क्षेत्र 60% एवं सड़क सुविधा हेतु 40% छोड़ते हुए अनुमोदन किया जावे ।
- (ii) योजना के अंदर की सड़कों को 25 ft. के स्थान पर 30 ft. किया जावे ।
- (iii) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 से टोडी मोड बाईपास को 30 ft. के स्थान पर 60 ft. किया जावे । उक्त चौड़ाई करने के पश्चात जिन भूखण्डों में न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलता है उनका नियमन नहीं किया जावे ।
- (iv) योजना में दर्शाये गये नाले की चौड़ाई 20 ft. एवं 10 ft. की अतिरिक्त भू-पट्टी दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु रखी जावे । नाले के दोनों तरफ स्थित भूखण्डों में से 10 ft. वृक्षारोपण हेतु आरक्षित करने के पश्चात ही नियमन योग्य भूखण्डों का नियमन किया जावे ।
- (v) योजना की भूमि ग्रामीण आबादी क्षेत्र से 500 mt. के Radius में होने के कारण इस योजना की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन आवश्यक नहीं है ।
- (vi) शमशान भूमि का अधिकांश भाग सड़क चौड़ाई में आ जाने के कारण भूखण्ड संख्या 67 का नियमन नहीं किया जावे इस भूखण्ड की भूमि को शमशान हेतु आरक्षित किया जावे ।

2. मोती भवन गु.नि.स.स. की योजना 11 F, चौमू खसरा नम्बर 6468 के अनुमोदन के संबंध में - जोनल लेबल «जोन संख्या डी-2» कमेटी की बैठक दिनांक 8.3.2002 में विचार विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेन्डा पर विचार विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के

परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया :-

- (i) योजना में आवासीय क्षेत्र 60% एवं सड़क सुविधा हेतु 40% छोड़ते हुए अनुमोदन किया जावे।
- (ii) भूखण्ड संख्या 1 से 7 के सामने H.T. Line होने के कारण 25 ft. सुरक्षा दूरी रखने के लिए इन भूखण्डों के सामने 15 ft. का गैट बैक रखा जावे।
- (iii) Existing रास्ता को 40 ft. किया जावे।
- (iv) भूखण्ड संख्या 7 का पूर्ण भाग एवं भूखण्ड संख्या 6, 8, 17 का आंशिक भाग खसरा नम्बर 6469 में स्थित हैं जो राजस्व रिपोर्ट में शेर मुमकिन रास्ता दर्ज हैं। अतः इस भूमि पर उक्त भूखण्डों का नियमन किया जा सकता है अथवा नहीं, की जांच उपायुक्त स्तर पर करने के पश्चात ही, इन भूखण्डों का नियमन किया जावे।
- (v) योजना का भू उपयोग परिवर्तन नियमानुसार सरकारी व अर्ध सरकारी कार्यालय से आवासीय किया जावे।
- (vi) जविप्रा आदेश क्रामंक जविप्रा/अआ/भूमि/2002/D-451 dt. 25.2.2002 के अनुसरण में योजना अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को भिजवायी जावे।

  
वरिष्ठ नगर नियोजक \* एम.पी. \*